

द्वितीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ जिला भीलवाडा(राज0)

संख्या 169/2017

D.N = 372  
बनाम

कैलाश चन्द्र ५० नारायण  
कुमार R 10 काछोला v  
— गुणर

1. जन्दा, कैलाश, नाथु ५० रामजत माप्पी  
2. रामपाल ५० रामचंद्र सोनी R 10 काछोला  
3. रामजत ५० पैमा रेजर R 10 काछोला  
4. रामपाल ५० (बरेका) माप्पी R 10 71

प्रार्थनापत्र—अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0ए0

— आदेश :-

दिनांक—16/5/17

प्रार्थनापत्र प्रार्थीश्री कैलाश कुमार ने जरिये अभिभाषक  
श्री डिनेश सोनी ने प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे एकल/संयुक्त  
खाते की भूमि ग्राम काछोला प0ह0 काछोला तह0 माण्डलगढ मे आराजीन0

1732

किता 1 रकबा 3 बीघा 15, बिस्वा भूमि स्थित है। विपक्षीगण आये दिन सीमा  
विवाद को लेकर झगडा फिसाद करते है। अतःपत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे  
साथ मे प्रार्थनापत्र की ताईद मे शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया, प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी  
की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।


पत्रावली मे संलग्न जमाबंदी सम्बत् 2071 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त  
आराजीयात का खातेदार/गैरखातेदार काश्तकार है। पडौसियान के विवाद करने बाबत  
शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नही पडता  
है।

अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0एक्ट स्वीकार किया जाकर  
ग्राम काछोला की आराजी न0—1732

रकबा 3 बीघा 15, बिस्वा की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढी किये जाने  
के आदश दिये जाते है। भू-अभिलेख निरीक्षक को कमीशनर नियुक्त किया जाता है।  
कमीशनर फीस 200 /रुपये वक्त पत्थरगढी प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। एवं  
पत्थरगढी की शुल्क राशि 100/रुपये राजकोष मे जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार,  
माण्डलगढ को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी